जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन सम्पर्क अनुभाग)

प्रेस–विज्ञप्ति

एमनेस्टी योजना योजना की अवधि 31 मई तक बढाई

बकाया राशि चुकाने पर मिलेगी ब्याज एवं पेनल्टी की छूट

जयपुर, 18 अप्रेल। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता जिनका बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2011 से पूर्व राशि नही जमा कराने के कारण स्थाई रुप से कट गया था उनके लिए बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने की एमनेस्टी योजना की अवधि को दो माह बढा दिया है। अब इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता 31 मई, 2012 तक उठा सकेगें।

ऊर्जा मंत्री डा0 जितेन्द्र सिंह ने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस योजना की अवधि को 31 मार्च से बढाकर 31 मई, 2012 किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत स्थाई रुप से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद बिजली कनेक्शनों पर बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी की समस्त राशि की छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जो अपने बिजली कनेक्शन को पुनः चालू करवाने के इच्छुक हो, तो वे समस्त बकाया राशि एवं निर्धारित रि–कनेक्शन शुल्क जमा करवा कर कनेक्शन पुनः चालू करवा सकते हैं।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 298/2012